

**भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3065
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2025**

ट्राई द्वारा स्पैम कॉल्स पर नियंत्रण

3065. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

श्री इटेला राजेंदर:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा दूरसंचार नेटवर्क पर स्पैम कॉल और टेक्स्ट संदेशों के लिए अधिसूचित कड़े नियमों और दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018 में संशोधनों के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों को ऐसे कॉल प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर स्पैम के खिलाफ शिकायतें स्वीकार करने, अपंजीकृत टेलीमार्केट्स पर तेजी से (पांच दिनों के भीतर) कार्रवाई करने और रिपोर्ट किए गए स्पैमर्स के लिए कम सहनशीलता सीमा लागू करने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है/कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, तथा प्राप्त/समाधान की गई शिकायतें/देखे गए उल्लंघन/की गई कार्रवाई का व्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अपने डिजिटल वितरित खाता प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक संचार प्राप्त करने के लिए ग्राहकों द्वारा दी गई कागज आधारित और पिछली अनुमतियों को शामिल करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

- (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 12.02.2025 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर), 2018 में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- i. कोई भी उपभोक्ता 3 दिन की विगत समय-सीमा की तुलना में अब स्पैम प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर स्पैम/अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के बारे में शिकायत कर सकता है।
- ii. गैर-पंजीकृत प्रेषक द्वारा भेजे गए यूसीसी के विरुद्ध एक्सेस प्रदाताओं द्वारा कार्रवाई करने की समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है।
- iii. यूसीसी के प्रेषकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में मापदंडों में संशोधन किया गया है और मानदंडों को और कड़ा बनाया गया है। ‘पिछले 7 दिन में प्रेषक के खिलाफ 10 शिकायत’ प्राप्त होने पर कार्रवाई करने के विगत मानदंड को संशोधित करके ‘पिछले 10 दिन में प्रेषक के विरुद्ध 5 शिकायत’ कर दिया गया है।

(ख) विनियम 8, विनियम 17; विनियम 20 के उप-खंड (क) एवं (ख); और विनियम 21 के उप-खंड (ख), जो सरकारी राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशन के साठ दिन के पश्चात् लागू होंगे, को छोड़कर ये संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने गैर-पंजीकृत प्रेषकों/गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटरों (यूटीएम) के सभी दूरसंचार संसाधनों, जिनका उपयोग स्पैम कॉल करने के लिए किया जा रहा है, को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए दिनांक 13.08.2024 को निर्देश जारी किए थे। एक्सेस प्रदाताओं ने व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है जिससे यूटीएम के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें अगस्त 2024 के 1,89,419 से घटकर जनवरी 2025 में 1,34,821 हो गई हैं। 1150 से अधिक कंपनियों/ व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 18.8 लाख से अधिक दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।

(ग) और (घ) ट्राई ने अपने डिजिटल डिस्ट्रिब्यूटिड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर वाणिज्यिक संचार प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दी गई पेपर आधारित और विगत अनुमतियों को ऑनबोर्ड करने के लिए पायलट परियोजना शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
